झारखंड उच्च न्यायालय रांची

आपराधिक विविध याचिका सं. **3267/2023**

1. सुधा बरनवाल, आयु- लगभग 55 वर्ष, पति -बिजय बरनवाल उर्फ बिजॉय बरनवाल;

2.बिजय बरनवाल उर्फ बिजॉय बरनवाल, आयु- लगभग 61 वर्ष, पिता- हरगोविंद लाल बरनवाल;

दोनों लोहारकुली, सरायढेला डाकघर एवं थाना- सरायढेला जिला- धनबाद के निवासी;

याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. सुनैना सिंह, पति - स्वर्गीय रवींद्र कुमार सिंह, ई 47, सी. सी. डब्ल्यू. कॉलोनी, सरायढेला डाकघर एवं थाना – सरायढेला जिला -धनबाद

विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए: श्री. असीम के. साहनी, अधिवक्ता

राज्य के लिएः श्री. पंकज के. मिश्रा, सहायक लोक अभियोजक

विरोधी पक्ष के लिए: श्री. शैलेश के. सिंह, अधिवक्ता

श्री अभिजीत के. सिंह, अधिवक्ता

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा : दोनों पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज सेरैदेला थाना. मामला सं.51/2023, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धनबाद की अदालत में लंबित है, के संबंध में एफ. आई. आर. सहित पूरी

आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के अनुरोध के साथ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस अदालत के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता क्रमशः मृतक सुरभी सिंह की सास और ससुर होने के नाते दहेज की मांग के संबंध में मृतक के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है और मृतक की मृत्यु उसकी शादी के सात साल के भीतर 25.02.2023 को सामान्य से अलग परिस्थितियों में हो गई क्योंकि मृतक की शादी याचिकाकर्ताओं के बेटे के साथ 17.02.2021 को हुई थी।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अभियोजन पक्ष के मामले में विसंगति है और याचिकाकर्ताओं द्वारा दहेज और यातना की किसी भी मांग के सबूत की कमी है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि 04.05.2022 को, मृतक के पति द्वारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट, धनबाद की अदालत में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 39 के तहत सूचना के माध्यम से एक आवेदन दायर किया गया था। याचिकाकर्ताओं को मृतक द्वारा आत्महत्या करने के बारे में पता चलने के तुरंत बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और सूचना देने वाले ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रतिशोधवश कष्ट पहुँचाने के लिए आत्महत्या के एक शुद्ध मामले को दहेज मृत्यु के मामले में बदल दिया है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सेरैदेला थाना मामला 51/2023, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धनबाद की अदालत में लंबित है, के संबंध में एफ. आई. आर. सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ खारिज कर दिया जाए।

5. राज्य की ओर से उपस्थित हुए और विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान वकील ने सेरैदेला थाना मामला सं. 51/2023, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धनबाद की अदालत में लंबित है, के संबंध में एफ. आई. आर. सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और खारिज करने के अनुरोध का जोरदार विरोध किया। विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि निर्विवाद रूप से मृतक की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से अलग परिस्थितियों में हुई और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दहेज की मांग करने और मृतक को क्रूरता के अधीन करने और अन्य बातों के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं, जो मृतक के पति के रिश्तेदार हैं जो उसकी माँ और पिता हैं द्वारा परेशान करने का विशिष्ट आरोप है। इसके बाद विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक के शव पर चोट के निशान थे जो दर्शाता है कि यह एक हत्या का मामला है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आपराधिक विविध याचिका, बिना किसी योग्यता के होने के कारण, खारिज कर दिया जाए।

6. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, इस अदालत ने पाया कि निर्विवाद तथ्य यह है कि मृतक सुरभी सिंह की मृत्यु उसकी शादी के सात वर्षों के भीतर सामान्य से अलग परिस्थितियों में हुई थी और रु. 1,00,000/- की दहेज की मांग करने दहेज की मांग के विशेष आरोप अलावा मृतक के साथ क्रूरता से व्यवहार करने और उसके "स्त्री धन आभूषण" को बेचने और दहेज की मांग कर परेशान करने का भी आरोप है। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि प्रथम दृष्टया अभिलेख में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत दंडनीय अपराध बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री है। इसलिए, इस न्यायालय को 2023 के सेरायदेला थाना. मामला सं. 51/2023 जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धनबाद की अदालत में लंबित है, के संबंध में एफ. आई. आर. सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई तर्क या कारण नहीं मिला है।

7. तदनुसार, सेरैदेला थाना मामला सं. 51/2023 जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धनबाद की अदालत में लंबित है, के संबंध में एफ. आई. आर. सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और अलग करने की प्रार्थना, , बिना किसी योग्यता के होने के कारण, खारिज कर दी जाती है।

8. परिणामस्वरूप यह आपराधिक विविध याचिका, बिना किसी योग्यता के होने के कारण, खारिज कर दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी **)**

झारखंड उच्च न्यायालय,
रांची दिनांक 08 जनवरी, 2024

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|